न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

वाद सं० एम० 143/2021

प्रथम पक्ष– अनिता देवी ....वगैरह ।

बनाम

द्वितीय पक्ष–तौहीद खान .... वगैरह ।

धारा 107 द० प्र० सं०

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तिथि
1	2	3
	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 03/2022 दिनांक 22/02/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) अनिता देवी उम्र 55 वर्ष पति ब्रजमोहन मिश्र (2) ब्रजमोहन मिश्र उम्र 60 वर्ष पिता स्व0 साधुचरण मिश्र (3) अंकित मिश्र उम्र 23 वर्ष पिता ब्रजमोहन मिश्र (4) कृष्णा पाण्डेय उम्र 16 वर्ष पिता भागीरथ पाण्डेय (5) सुमन देवी उम्र 40 वर्ष पति कृष्णा पाण्डेय सभी ग्राम साईटोली थाना– बसिया जिला–गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) अरबिंद मिश्र उम्र 24 वर्ष पिता तारकेश्वर मिश्र (2) तारकेश्वर मिश्र उम्र 62 वर्ष पिता स्व0 साधुचरण मिश्र (3) गुंजन देवी उम्र 27 वर्ष पिता तारकेश्वर मिश्र सभी ग्राम साईटोली थाना बसिया जिला गुमला के बीच भूमि को लेकर आपसी विवाद होने एवं अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उभय पक्ष उपस्थित। उक्त वाद की कारर्दवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार की शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट से अप्राप्त है। वाद पर कार्रवाई की समयअवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला) Digitally signed by SANJAY P.M. KUJUR Date: 2022.09.16 12:23:52 +05:30 Location: 192.168.235.239	